जमीन हड़पी | कोलोनाईजर समेत सात पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

शर्तों के विपरीत बनाई स्वास्तिक विलास कॉलोनी

शासकीय भूमि पर कब्जा कर बनाया गार्डन, जिम स्विमिंग पुल, मकान

नवभारत, जबलपुर। सगडा स्थित स्वास्तिक विलास कॉलोनी शर्तों के विपरीत बनाई गई। शासकीय नाले एवं ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर उसमें गार्डन, जिम, स्विमिंग पूल, मकान का अवैध निर्माण करके अवैध रूप से शासन की 2.64 करोड़ रूपये की जमीन हड़प ली गई। मामले में कोलोनाईजर रजनीत जैन एवं श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के भागीदारों समेत सात के खिलाफ ईओडब्ल्यू जबलपुर ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में अहमद वाहिद हुसैन पिता मो नवाब, ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि सगडा जबलपुर स्थित स्वास्तिक विलास कॉलोनी, के कोलोनाइजर एवं मे. श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा कॉलोनी के मध्य में बहने वाले शासकीय नाले एवं हरित पट्टी पर पार्क, गार्डन, जिम, स्वीमिंग पूल का निर्माण कर अवैध लाभ प्राप्त किया गया हैं। ईओडब्ल्यू की शिकायत की जांच में पाया गया कि श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के द्वारा आईटीसी होटल के पास सगडा में कुल 2.985 हे. भूमि पर स्वास्तिक विलास नाम से आवासीय कॉलोनी का विकास किया गया हैं। कोलोनाईजर द्वारा नगर पालिका निगम जबलपुर एवं नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय जबलपुर से कोलोनाईजर रजनीत जैन को जारी अनुमति की शर्तों के विपरीत कालोनी बनाई।

दो भाईयों समेत ये बने आरोपी

रजनीत जैन पिता दयाचंद जैन और उसके भाई नितिन जैन दोनों निवासी नेपियर टाउन समेत अपूर्व सिंघई पिता राकेश सिंघई निवासी आदर्श नगर, पंकज गोयल पिता जी.सी. जैन निवासी, भालदारपुरा, श्याम राठौर पिता के.सी. राठौर निवासी, बी सेक्टर शहपुरा भोपाल, श्रीमति श्रद्धा ममतानी पिता एन.एन. शर्मा निवासी, भरत नगर भोपाल, श्रीमति शिल्पा राठौर पिता अशोक विजयवर्गी निवासी शहपुरा भोपाल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

कलेक्टर गाईड लाइन का उल्लंघन

स्वास्तिक विलास कालोनी के मध्य स्थित शासकीय नाले का कुल क्षेत्रफल 0.12 हे0 हैं जिसका कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार वर्तमान मूल्य 2.64 करोड़ रूपये हैं। इस प्रकार फर्म के द्वारा नगर पालिका निगम जबलपुर एवं नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय जबलपुर की शर्तों व अनुमतियों का उल्लंघन कर गैर कानूनी ढंग से कालोनी विकसित की गई। शासकीय नाले एवं हरित पट्टी में गार्डन, पार्क, रास्ता, जिम, स्वीमिंग पूल आदि सुविधाये बनाकर एवं मकान का निमार्ण कर अवैध लाभ अर्जित किया एवं शासन को 2.64 करोड रूपय आर्थिक क्षति कारित की गई।

210 प्लाटधारकों को दिया धोखा

शासकीय नाले कुल क्षेत्रफल 0.12 हे. को पूरी तरह ढक दिया गया एवं नाले की शासकीय भूमि एवं हरित पट्टी के उपर गार्डन, पार्क, रास्ता, जिम, स्वीमिंग पूल आदि बनाकर एवं कालोनी के ब्रोशर में उक्त सुविधाये दर्शाकर ग्राहकों को आकर्षित कर प्लाट विक्रय कर लाभ अर्जित किया हैं एवं 210 प्लाटधारकों के साथ धोखाधड़ी की गई। कालोनाईजर द्वारा शासकीय नाले एवं हरित पट्टी की भूमि पर मकान नं जी-06 भी बनाया गया हैं जिसे 63 लाख रूपये में बेच दिया।

घुन लगे गेहूं के साथ रखी धान, वेयरहाउस ब्लैकलिस्ट

धान उपार्जन में अनियमितता पर जिला उपार्जन समिति ने की कार्यवाही

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार धान उपार्जन में अनियमितताओं को रोकने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जिला उपार्जन समिति ने तीन गोदामों पर कार्रवाई की है। जिसमें मझौली तहसील के मुड़कुरु स्थित ओम साईं राम वेयर हाउस को वर्ष 2021-22 से उपार्जित धान को बिना किसी पार्टीशन के घुन लगे गेहूँ के साथ रखने और अधिक मात्रा में धान की तौल करने के कारण एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही 2025-26 में मिलने वाली गोदाम किराए की राशि को भी राजसात करने का निर्णय लिया गया। जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद कुमार मिश्र ने बताया कि संयुक्त जाँच दल (राजस्व, खाद्य, सहकारिता एवं कृषि विभाग) की रिपोर्ट के आधार पर कई समितियों के प्रभारियों और कम्प्यूटर ऑपरेटरों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है।

दो वेयरहाउसों के किराए में हुई कटौती

कुंडम तहसील के ग्राम टिकरिया स्थित वाधवा वेयर हाउस और पाटन तहसील के साईं एग्रो टेक वेयरहाउस को खरीदी परिसर की राशि से 1 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती करने का निर्णय लिया गया। वाधवा वेयर हाउस में निगरानी के लिए लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जबकि साईं एग्रो टेक वेयरहाउस में धान की बोरियां अधिक वजन की पाई गईं।

धान की जगह मिला चावल, एथेनॉल फैक्ट्री में हुई जाँच

शहपुरा स्थित एथेनॉल फैक्ट्री श्री बालाजी सॉल्यूशन्स पर धान के अवैध भंडारण की शिकायत मिलने के बाद गुरुवार को अधिकारियों ने जाँच की। जांच में धान नहीं मिला, लेकिन कई बोरियों में रखा चावल फेक्ट्री परिसर से बरामद किया गया। जाँच का नेतृत्व एसडीएम शहपुरा मदन सिंह रघुवंशी ने किया। जाँच के दौरान फेक्ट्री के सुरक्षा अधिकारी से चावल के संबंध में पूछताछ की गई और आवश्यक दस्तावेज़ भी मांगे गए। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि फेक्ट्री परिसर में रखा चावल एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम से नीलामी में खरीदा गया है। उन्होंने दावा किया कि यह चावल वैध तरीके से प्राप्त किया गया था। जाँच के समय फेक्ट्री संचालक मौके पर उपस्थित नहीं थे। एसडीएम ने कहा कि चावल से संबंधित दस्तावेज़ शुक्रवार तक प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

साथी वकील पर हमला, रद्द होगा लाइसेंस

जबलपुर, नवभारत। मप्र उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में इन दिनों वकीलों के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां 13 जनवरी को हुई एक घटना के बाद अधिवक्ता समुदाय दो धड़ों में बट गया है। जिसके बाद उच्च न्यायालय संघ ने दो अधिवक्ताओं पर कड़ा एक्शन भी लिया है। वही ओबीसी वेलफेयर अधिवक्ता संघ ने चीफ जस्टिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार विगत 13 जनवरी को ग्वालियर से आए अधिवक्ता अनिल मिश्रा के साथ अधिवक्ता रूपसिंह मरावी ने न्यायालय परिसर में मारपीट की। जिसको लेकर मध्य प्रदेश ओबीसी वेलफेयर अधिवक्ता संघ ने मुख्य न्यायमूर्ति को शिकायत सौंपी है। अधिवक्ता रूपसिंह मरावी पर आरोप है कि वे 13 जनवरी को कथित रूप से शराब के नशे में उच्च न्यायालय परिसर पहुंचे थे। अन्य अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता एवं मारपीट की थी। मामला के तार सोशल मीडिया के एक पोस्ट से भी जुड़ रहे है। अधिवक्ता विनायक शाह पर आरोप है कि उन्होंने 13 जनवरी को फेसबुक पर एक भ्रामक पोस्ट साझा किया। जिसमें ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा को मनुवादी बताया गया। दावा किया गया कि उन्हें जबलपुर बुलाकर सम्मानित किया गया। जबकि हाईकोर्ट बार ने इसे तथ्यहीन बताया। अधिवक्ता धन्य कुमार जैन, अध्यक्ष, मप्र उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने बताया कि न्याय के इस मंदिर में हुए इस प्रकार के कृत्य को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिवक्ताओं को नोटिस दिया गया है। इनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।

आज शाम को जलापूर्ति रहेगी प्रभावित

नवभारत, जबलपुर। शुक्रवार शाम को कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। नगर निगम के अधीक्षण यंत्री और जल विभाग के प्रमुख कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि भोंगाद्वार द्वारा जल शोधन संयंत्र में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आज शाम की जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इस संबंध में प्लांट इंचार्ज अमजद मंसूरी एवं शमीम खान ने बताया कि भोंगाद्वार जलशोधन संयंत्र से होने वाली जलापूर्ति क्रमश: कजरवारा, भीटा, शिवपुरी, शिवपुरी, आदि क्षेत्र में सायंकालीन जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं होगी वहाँ टैंकरों के माध्यम से नागरिकों को जलापूर्ति की जायेगी।

अमृत योजना के कार्यों की समीक्षा में नाराज दिखे निगमायुक्त

नवभारत, जबलपुर। शहर की बुनियादी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निगमायुक्त ने अमृत योजना फेज-1 एवं फेज-2 के अंतर्गत चल रहे जलप्रदाय और सीवर कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी या कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। योजना के कार्यों में गति लाने के लिए आयुक्त ने अधिकारियों को कार्य शैली में बदलाव लाने और कार्यों को समय सीमा में उच्चगुणवत्ता के साथ करने पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित इंजीनियरों को दिनभर फील्ड में रहकर निर्माण कार्यों की प्रत्यक्ष निगरानी करनी होगी। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि तकनीकी बाधाओं का मौके पर ही निराकरण हो सकेगा। सीवर प्रोजेक्ट की सफलता के लिए आयुक्त ने प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी बैठक तक यदि संतोषजनक प्रगति नहीं दिखी, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सुस्त कार्य करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध भारी जुर्माना लगाने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने जैसी सख्त वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के कार्यों में तेजी लाएं, ताकि शहर की सुंदरता और जल स्तर में सुधार हो सके।

दूषित पानी की सप्लाई को लेकर शहर में सियासत तेज

कांग्रेस पार्षद दल आज घेरेगी नगर निगम मुख्यालय

नवभारत, जबलपुर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई अब तक 22 मौतों के मामले में शहर में भी सियासत तेज हो गई है। जहां एक ओर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू शहर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लगातार दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसियों द्वारा इस दावे को खोखला बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, उपनेता प्रतिपक्ष शगुफ्ता उस्मानी गुड्डू नबी, सचेतक अयोध्या तिवारी ने नवभारत को बताया कि शुक्रवार दोपहर 12:30 से 2:00 बजे तक नगर पालिक निगम जबलपुर मुख्यालय के समक्ष कांग्रेस पार्षद दल धरना प्रदर्शन करेगी। यह धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से दूषित पानी का वितरण, नालियों के बीच से गुजरती पाईप लाईन, जन स्वास्थ्य से खिलवाड़, मां नर्मदा के साथ विश्वासघात, महापौर के झूठे वादे, एस.टी.पी. प्लांट का सुचारू रूप से संचालित न होना, अमृत 2.0 के कार्यों में लापरवाही एवं पाईप लाईन बिछाने के दौरान खुदाई में लापरवाही के मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया है। कांग्रेस पार्षदों ने स्पष्ट कहा है कि शहर के कई क्षेत्रों में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। नाले-नालियों के बीच से गुजरी पाइप लाइन कई लीक हैं जिस कारण दूषित पानी पीकर कई लोग बीमार तक होने लगे हैं और नगर निगम सिर्फ एक बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है बजाए इसके कि नाला-नालियों के बीच से गुजरी पाइप लाइन को बदलने के।

फर्जी रजिस्ट्री के जरिए 57 लाख की धोखाधड़ी, नौ के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

अधिकारियों की मिलीभगत से केनरा बैंक में हुआ ऋण घोटाला

नवभारत, जबलपुर। अधारताल केनरा बैंक शाखा में फर्जी रजिस्ट्री के जरिए 57 लाख रूपए की धोखाधड़ी कर आवास एवं व्यावसायिक ऋण का घोटाला बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ। ईओडब्ल्यू जबलपुर ने बैंक अधिकारियों समेत नौ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है । सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में अंबिका शरण सिंह, सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, केनरा बैंक, जबलपुर ने शिकायत करते हुए बताया कि सुमित सिंह एवं गालिब हुसैन के द्वारा केनरा बैंक शाखा आधारताल से फर्जी रजिस्ट्री पर लोन लेकर धोखाधडी की गई है। शिकायत की जाँच पर पाया गया कि आरोपी सुमित सिहं, एवं गालिब हुसैन के द्वारा एक अन्य व्यक्ति को भूमि स्वामी दीनबंधू गोलछा के रूप में प्रस्तुत कर फर्जी रजिस्ट्री कराकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किये। दस्तावेजों के आधार पर बैंक के अधिकारियों के साथ मिली-भगत कर केनरा बैंक शाखा आधारताल जबलपुर से आवास ऋण एंव व्यावसायिक ऋण प्राप्त किया एवं मासिक किस्तें जमा भी नहीं की। इस प्रकार आरोपी सुमित सिहं, गालिब हुसैन एवं आरोपी आरिफ अंसारी द्वारा कुल 57 लाख रूपये की बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई।

जमीन का फर्जी मालिक खड़ा कर कराई रजिस्ट्रियां

आरोपीगणों द्वारा जमीन का फर्जी मालिक खड़ा कर गालिब हुसैन और सुमित सिंह के नाम पर दो फर्जी रजिस्ट्री कराई, इन्हीं रजिस्ट्रीयों को लगाकर केनरा बैंक जबलपुर की आधारताल शाखा में आवास ऋण और दुकान खोलने के लिए चार लोन लिए। चारों लोन कुल राशि 57 लाख रूपये लेकर बैंक की किश्त भी नहीं चुकाई। फर्जी रजिस्ट्री व फर्जी बैंक खातें के आधार पर ऋण स्वीकृत करने, सत्यापन करने में केनरा बैंक आधारताल और केनरा बैंक की लोन स्वीकृत करने वाली आरएएच शाखा के 6 अधिकारियों ने षड़यंत्र पूर्वक पद का दुरूपयोग किया।

इन्हें बनाया गया आरोपी

ईओडब्ल्यू ने सुमित सिंह पिता केशव सिंह निवासी मेन रोड धनी की कुटिया, गालिब हुसैन पिता तजामुल हुसैन निवासी, मक्का नगर, आरिफ अंसारी पिता मुस्तकिम अंसारी निवासी तालिब चैक, बहोराबाग, दीपक गोस्वामी, तत्कालीन ब्रांच मैनेजर, ग्यान रंजन तिर्की, डिवीजन मैनेजर, आर.ए.एच., संदीप कुमार तिवारी, सीनियर मैनेजर, आरएएच, अमित शर्मा, मार्केटिंग मैनेजर, प्रतिध्वनि मिश्रा, बैंक अधिकारी, आगस्टाइन खंगवीर, बैंक अधिकारी को आरोपी बनाया है।

अब तक 473 स्थानों पर पाइप लाइन का मरम्मत कार्य पूरा

नवभारत, जबलपुर। शहर के नागरिकों को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ नगर निगम प्रशासन पूरी तत्परता से मैदान में उतरा हुआ है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' के नेतृत्व में जल प्रदाय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वार्ड स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की सबसे खास बात यह है, कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी केवल निर्देशों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वयं जमीन पर उतरकर कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नगर निगम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 473 लीकेज को सफलतापूर्वक दुरुस्त किया जा चुका है। 657 जल के सैंपल लेकर उनकी सघन जांच की गई है।जलापूर्ति की पारदर्शिता और जमीनी हकीकत जानने के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह लगातार निरीक्षण और समीक्षा कर रहे हैं वहीं सांसद आशीष दुबे, सुमित्रा बाल्मीकि भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। गुरुवार को महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' और केंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी, निगमाध्यक्ष रिंकू विज एवं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया।

2030 तक चलती रहेगी जबलपुर-पुणे सहित अन्य ट्रेनें

जबलपुर, नवभारत। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा और यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ टर्मिनेट होने वाली संचालित रानी कमलापति-अगरतला-रानी कमलापति, जबलपुर-पुणे-जबलपुर, जबलपुर-कोयंबटूर-जबलपुर एवं जबलपुर-बांद्रा टर्मिनस-जबलपुर स्पेशल ट्रेनों कि संचालन अवधि मार्च,2026 से बढ़ाकर दिसम्बर,2030 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये स्पेशल ट्रेनें होली, समर सीजन, त्योहारी सीजन, विंटर सीजन एवं अतिरिक्त भीड़ वाली अवधि में संचालित की जायेगी।

नवभारत

आवश्यकता है

पद की योग्यता

देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

एकाउंटेंट
(2 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम. व टेली)

डीटीपी ऑपरेटर
(5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)

मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव
(3 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम/ बीबीए)

सर्कुलेशन एग्जीक्यूटिव
(2 वर्ष का अनुभव एवं बीए/बी.कॉम)

नोट- स्वयं का वाहन और कम्प्यूटर में दक्षता अनिवार्य।

ऑफिस बाय
(5 वर्ष का अनुभव एवं 10 वीं पास)

संपर्क करें

कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
(दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)

9752721239, 8305852507, 9109700824
hr.navabharat1934@gmail.com